

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/1117

दिनांक:- 9/3/17

आदेश

मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.16 के बिन्दु संख्या 229.21 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम, उदयपुर के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित फ्लेटों को खुली बिक्री योजना नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारित किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारित किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	अनिस्तारित फ्लेटों की संख्या	कुल
1	गोवर्धन विलास उदयपुर	MIG-A	GVF/E-01, GVF/E-02, GVF/E-04, GVF/E-06, GVF/E-08, GVF/E-11, GVF/E-12, GVF/E-16, GVF/F-04, GVF/F-12, GVF/G-07, GVF/G-09, GVF/G-11, GVF/G-16, GVF/H-01, GVF/H-03, GVF/H-04, GVF/H-08, GVF/H-10, GVF/H-13, GVF/H-14, GVF/H-15, GVF/I-02, GVF/I-04, GVF/I-07, GVF/I-09, GVF/I-12, GVF/I-13, GVF/I-16, GVF/J-03, GVF/J-06, GVF/J-09, GVF/J-10, GVF/J-14, GVF/J-15, GVF/K-01, GVF/K-02, GVF/K-04, GVF/K-05, GVF/K-08, GVF/K-11, GVF/L-01, GVF/L-06, GVF/L-07, GVF/M-02, GVF/M-04, GVF/M-09, GVF/M-013, GVF/M-14, GVF/M-15, GVF/M-16,	51
2	गोवर्धन विलास विस्तार उदयपुर	MIG-A	GVF/C-01, GVF/C-13, GVF/C-16, GVF/D-07,	4
3	दक्षिण विस्तार योजना उदयपुर	LIG	E-06, E-07, E-08, E-10, E-16, F-01, F-02, F-11, F-14,	9
4	दक्षिण विस्तार योजना उदयपुर	MIG-A	G-13, G-14, H-13, H-14, H-15, H-16,	6
	कुल			70

फ्लेटों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से नगद भुगतान पद्धति के द्वारा नियमानुसार निस्तारित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।


1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये है।

उक्त आदेश माननीय आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत उदयपुर
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा0आ0म0 उदयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु.)